

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (36) ग्राविवि/गुप-5/जीकेएन/बीएसआर सॉफ्ट/पार्ट-3/2015-16 जयपुर, दि. 21.02.2017


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
समस्त राजस्थान।

विषय:- जेसीबी/टेक्टर मय स्केपर से मिट्टी खुदाई कार्य की दर के सम्बंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.01.2016


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सम्बंध में लेख है कि मशीन यथा जेसीबी/टेक्टर मय स्केपर से मिट्टी खुदाई कार्य की दर के लिये आईटम एवं दर विश्लेषण विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर में क्र.स 196 पर मिट्टी का कार्य मद में जोड़ा जाकर दिनांक 01.02.2017 से प्रभावी किया है।

अतः उक्त कार्य की दर के उपयोग हेतु बीएसआर का नवीन प्रिंट लेकर उक्त आईटम का उपयोग किया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्बंधित को निर्देशित कराने का श्रम करावें।


(कै. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
4. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एम एण्ड ई/एसएपी-प्रथम/एसएपी-द्वितीय/ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता (अभि./ईजीएस), जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)